संख्या-2320/15-7-06-16(62)/2006

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,प्रीति विहार,
नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 23 जून, 2006

विषय :- साहिल पब्लिक स्कूल ग्राम खेरपुर गुर्जर/नोएडा गौतमबुद्धनगर को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें ।
(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

-----2---

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिदंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

पृ0सं0-2320(1)/15-7-2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,मेरठ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर ।
4- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0,लखनऊ ।
5- प्रबंधक, साहिल पब्लिक स्कूल ग्राम खेरपुर गुर्जर/नोएडा गौतमबुद्धनगर ।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

Secretary,
CBSE, Integrated Office Complex,
Sector-23, Phase-1, Dwarka,
New Delhi-110077.

पत्रांक / एन0ओ0सी0 / /2025-26 दिनांक : 26/06/25

विषय :- साहिल पब्लिक स्कूल, ग्राम खैरपुर गुर्जर, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को संचालित करने वाली सोसायटी "अखिल भारतीय ज्ञान भारती विद्यालय समिति" को परिवर्तित कर "डी0एस0आर0एजुकेशनल डवलपमेन्ट ट्रस्ट" किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रधान, अखिल भारतीय ज्ञान भारती विद्यालय समिति ने अपने पत्र दिनांक 18-06-2025 के द्वारा साहिल पब्लिक स्कूल, ग्राम खैरपुर गुर्जर, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को संचालित करने वाली सोसायटी "अखिल भारतीय ज्ञान भारती विद्यालय समिति" को परिवर्तित कर "डी0एस0आर0एजुकेशनल डवलपमेन्ट ट्रस्ट" किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। संस्था को अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या/2320/15-7-06-16(62)/2006 शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 23 जून 2006 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है तथा सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 01-04-2023 से दिनांक 31-03-2028 तक सम्बद्धता का नवीनीकरण किया गया है।

संस्था को संचालित करने वाली सोसायटी को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा जारी सम्बद्धता बाईलॉज में अध्याय-15.2 **(संलग्नक-3)** में व्यवस्था विद्यमान है।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्बन्धित पत्रजात के आधार पर साहिल पब्लिक स्कूल, ग्राम खैरपुर गुर्जर, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को संचालित करने वाली सोसायटी "अखिल भारतीय ज्ञान भारती विद्यालय समिति" को परिवर्तित कर "डी0एस0आर0एजुकेशनल डवलपमेन्ट ट्रस्ट" किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक पत्रजात आपकी सेवा में संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त परिवर्तन के उपरान्त विद्यालय प्रबन्धतंत्र अपने स्तर से अन्य वैधानिक दस्तावेजों में तदनुसार परिवर्तन का अंकन करायेगा।

संलग्न:- उक्तवत्।

भवदीय

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या/एन0ओ0सी0/5571-77 /2025-26, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित:-

1- आयुक्त, महोदय मेरठ, मण्डल, मेरठ।
2- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
3- उप-सचिव (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा अनुभाग-7 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संज्ञानार्थ सादर प्रेषित।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
5- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, साहिल पब्लिक स्कूल, ग्राम खैरपुर गुर्जर, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।
6- प्रधान, अखिल भारतीय ज्ञान भारती विद्यालय समिति।

26/06/25

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल मेरठ।